रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 16, 1982 (पौष 26, 1903)
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 16, 1982 (PAUSA 26, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	19
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	57
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	*
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	1
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	1
भाग II—खंड 3 (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	395
भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	17
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन पथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	21
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	13
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ..	
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	19
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	57
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	—
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	1
PART II—SECTION 3(iii).—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	395
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	17
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	21
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	13
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 दिसम्बर 1981

संकल्प

सं. 13-1/78-डी. पी.—भारत सरकार ने इस संकल्प के जारी होने की तारीख से केन्द्रीय डेरी विकास परिषद गठित करने का फैसला किया है।

2. इस परिषद के सदस्य नीचे लिखे व्यक्ति होंगे :—

अध्यक्ष

1. सचिव (कृषि और सहकारिता)

सदस्य

1. अपर सचिव (सी. सी. टी.)
2. संयुक्त सचिव (डेरी विकास)
3. वित्तीय सलाहकार, कृषि और सहकारिता विभाग।
4. पशुपालन आयुक्त
5. अध्यक्ष, भारतीय डेरी निगम/राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड
6. (1) योजना आयोग, (2) आर्थिक कार्य विभाग, (3) भारी उद्योग विभाग, (4) ग्रामीण पुनर्निर्माण विभाग, (5) निदेशक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल के प्रतिनिधि।
7. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवालयों के प्रमुख सचिव।
8. प्रबन्ध निदेशक, भारतीय डेरी निगम/सचिव, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड।

सदस्य सचिव

1. निदेशक (डेरी विकास)

सचिव

1. संयुक्त आयुक्त (डेरी विकास)

3. सभी सदस्यों को भारत सरकार 3 वर्ष की अवधि के लिए नामजद करेगी। अध्यक्ष को केन्द्र तथा राज्य स्तर की विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के उपयुक्त विशेषज्ञों तथा प्रतिनिधियों को परिषद् की बैठकों में आमंत्रित करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है।

4. भारत सरकार समय-समय पर ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अतिरिक्त सदस्य नामित कर सकती है, जिनका प्रतिनिधित्व परिषद में पहले से न हो रहा हो।

5. यह परिषद एक परामर्शदात्री निकाय होगी और नीचे लिखे कार्य करेगी :—

(1) आपरेशन फ्लड (I तथा II), विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं, आदि जैसे विभिन्न डेरी विकास कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में लगे विभिन्न राज्यों/एजेंसियों में निकट सम्बन्ध सुनिश्चित करना;

(2) उन समस्याओं पर तेजी से कार्रवाई करने और फैसला करने में सहायता करना जिन पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों आदि की स्वीकृति की जरूरत हो;

(3) विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजनायें समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार क्रियान्वित की जाएं और क्रियान्वयन के दौरान आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जा सके;

(4) एस. एम. पी. के आयात और वितरण जैसे विशिष्ट कार्य करने वाली विभिन्न एजेंसियों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन और यह देखना कि क्या ये काम किफायती तौर पर और कारगर ढंग से लिए जा रहे हैं;

(5) यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाने कि सीमित समय में विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों से अधिकतम लाभ उठाया जाए और आवश्यकतानुसार उपयुक्त समायोजन करना;

(6) दुग्ध उत्पादन तथा दूध के विपणन पर सामान्य नीति के मुद्दों पर कार्रवाई करना, दूध और दुग्ध उत्पादों की उचित क्वालिटी सुनिश्चित करने और डेरी विकास से सम्बन्धित अन्य मुद्दों के लिए सांविधिक तथा संस्थागत व्यवस्था करना; और

(7) भारत सरकार द्वारा इस परिषद को समय-समय पर सौंपा जाने वाला अन्य कोई कार्य।

6. बोर्ड की बैठकें अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किए गए समय तथा स्थान पर समय-समय होती रहेंगी।

7. परिषद, डेरी विकास से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए जिसे वह उचित समझे, उसे सलाह देने के लिए संकल्प पारित करके समितियां नियुक्त कर सकती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के विभागों और मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

एन. राजगोपाल
संयुक्त सचिव

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

नौवहन महानिदेशालय

बम्बई, दिनांक 10 नवम्बर 1981

संकल्प

सं. 38 एस. एच. (3)/80—भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन मंत्रालय के संकल्प सं. 55-एम. ए. (5)/52 तारीख 8 मई, 1954, यथासमय पर संशोधित के साथ पठित नौवहन और परिवहन मंत्रालय के संकल्प सं. 55 एम. ए. (5)/72, तारीख 3 फरवरी, 1973 के अनुसरण में मंत्रालय के पत्र सं. 1 एम. डी. एस. (28)/76-एम. ए. तारीख 15-10-76 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौवहन महानिदेशक, विशेष व्यापार यात्री कल्याण समिति, कलकत्ता का गठन करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को, इस संकल्प के प्रकाशन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त करते हैं :

अध्यक्ष

1. प्रधान अधिकारी,
जल परिवहन विभाग,
कलकत्ता।

सदस्य

2. अग्रवासी प्रतिशासक,
कलकत्ता।

3. पुलिस उपायुक्त,
कलकत्ता।

4. डाक प्रबन्धक,
कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट,
कलकत्ता।

5. पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी,
कलकत्ता।

6. निरोधी सेवाओं के सीमा शुल्क अधीक्षक के सहायक समाहर्त्ता,
कलकत्ता।

गैर-सरकारी सदस्य

7. श्री मनोरंजन भक्त, संसद सदस्य
पोर्ट ब्लेयर अबेरडीन बजार,
वार्ड नं. 5 (अंडमान और निकोबार आयलैंड)।

8. श्री प्रालें तालुकदार,
विधान सभा सदस्य।

9. श्रीमती मंजरी गुप्ता, एडवोकेट,
47-बी, सेक्सपीयर सरानी,
कलकत्ता-17।

10. श्री महमूद निजामुद्दीन,
विधान सभा सदस्य।

11. डा. अंबरीश मुखर्जी,
विधान सभा सदस्य,
पोस्ट : नपारा, जिला : पुरुलिया।

12. श्री त्रिलोक चन्द डागा,
24, अमरतोला लेन,
कलकत्ता।

13. अंडमान और निकोबार,
द्वीप प्रशासन के प्रतिनिधि।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति राष्ट्रपति के निजी व सैनिक सचिवों, प्रधान मंत्री के सचिवालय, लोक सभा सचिवालय (10 प्रतियों सहित), मंत्री मंडल सचिवालय, नौवहन और परिवहन मंत्रालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों, अध्यक्ष, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट, कलकत्ता, भारतीय राष्ट्रीय दाषोपोत संगठन, सिंधिया

हाउस, बेलार्ड स्टेट, बम्बई, राष्ट्रीय हरबर बोर्ड के सदस्यों, प्रधान अधिकारी, जल परिवहन विभाग, बम्बई/कलकत्ता/मद्रास, डेक यात्री कल्याण समिति, कलकत्ता के अध्यक्ष और सदस्य, उप प्रधान सूचना अधिकारी/सूचना अधिकारी प्रेस सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली/बम्बई, को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एम. एम. ओचाणी
नौवहन वरिष्ठ उपमहानिदेशक

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 1982

नियम

सं० 11013/2/81 आई० ई० एस०—निम्नलिखित सेवाओं में ग्रेड IV की रिक्तियों को भरने के लिए 1982 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं :—

(i) भारतीय अर्थ सेवा, और

(ii) भारतीय सांख्यिकी सेवा,

2. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में बताई जाएगी: अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सरकार द्वारा यथा निर्धारित रूप में किया जाएगा।

अनुसूचित जातियों/जन जातियों से अभिप्राय निम्नलिखित आदेशों में उल्लिखित जातियों/जन जातियों में से किसी एक से है :—

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जन-जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जन जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, [अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां सूचियां (आशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां, आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित] संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1959, (अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन-जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित) संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश 1964, संविधान (अनुसूचित जन जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोआ, दमन और दियु) अनुसूचित जातियां आदेश 1968, संविधान (गोवा, दमन और दियु) अनुसूचित जन जातियां आदेश 1968 संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जन जातियां आदेश 1970 संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश 1978 और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1978।

3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों परिशिष्ट-I में निर्धारित ढंग से ली जाएगी।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे

4. उम्मीदवार :—

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) नेपाल की प्रजा या

(ग) भूटान की प्रजा,
अवश्य हो या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) कोई भारत मूलक व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कीनिया, उगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया भूतपूर्व टंगानिका और जंज़ीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशों, जांबिया, मालावी, जेरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन कर आया हो।

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलि-जीबिलिटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है किन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव केवल तभी दिया जा सकता है जब भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया हो।

5. (क) उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि उसकी आयु 1 जनवरी 1982 को 21 वर्ष पूरी हुई हो किन्तु 28 वर्ष न हुई हो, अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1954 से पहले और 1 जनवरी 1961 के बाद नहीं हुआ हो।

(ख) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में छूट दी जाएगी :—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष।

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जन जाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964, और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से वास्तविक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष।

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का हो और श्रीलंका से वास्तविक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष।

(vi) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिनके पास भारतीय पारपत्र हो) है और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाण-पत्र है, और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं आया है, तो उसके लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(vii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और वियतनाम से वस्तुतः प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो) और ऐसा भी उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपात काल का प्रमाण-पत्र हो और जो वियतनाम से जुलाई 1975 के बाद भारत आया हो तो उसके लिए अधिक से अधिक आठ वर्ष तक।

(viii) यदि उम्मीदवार बर्मा से वास्तविक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(ix) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और बर्मा से वास्तविक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(x) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किए गए रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(xi) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के हों तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(xii) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा और तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) संयुक्त गणराज्य से प्रव्रजन किया हो या जांबिया, मलावी, जैरे, और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(xiii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और भारत मूलक वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो और कीनिया, उगांडा या तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) से प्रवासित हो या जांबिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया से भारत मूलक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(xiv) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल छः महीनों के अन्दर पूरा होना है) उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।

(xv) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने कम से कम पांच वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल छः महीनों के अन्दर पूरा होना है) तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के हैं उनके मामले में अधिक से अधिक दस वर्ष तक।

ऊपर दी गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती।

6. भारतीय अर्थ सेवा के लिए उम्मीदवार के पास केन्द्र या राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्य किसी अन्य शिक्षा संस्थाओं की अर्थशास्त्र या सांख्यिकी विषय सहित डिग्री होनी चाहिए और भारतीय सांख्यिकी सेवा के लिए उम्मीदवारों के पास सांख्यिकीय या गणित या अर्थशास्त्र विषय सहित डिग्री अथवा उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

टिप्पणी I : यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिससे उत्तीर्ण कर लेने पर वह इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है किन्तु अभी उसे परीक्षा परिणाम की सूचना न मिली हो तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो, वह भी आवेदन कर सकता है। यदि ऐसे उम्मीदवार अन्य शर्तें पूरी करते हों तो उन्हें इस परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु परीक्षा में बैठने की अनुमति अनन्तिम मानी जाएगी और यदि वे अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण

होने का प्रमाण जल्दी से जल्दी और हर हालत में 30 सितम्बर, 1982 तक प्रस्तुत नहीं करते तो यह अनुमति रद्द की जा सकती है ।

टिप्पणी II : विशेष परिस्थितियों में, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश के योग्य माना जा सकता है जिसके पास पूर्वोक्त योग्यताओं में से कोई भी योग्यता न हो बशर्ते कि उस उम्मीदवार ने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित कोई ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों जिनके स्तर को देखते हुए, आयोग उसको परीक्षा में प्रवेश देना उचित समझे,

टिप्पणी III : यदि कोई उम्मीदवार अन्यथा अर्हता प्राप्त हो, किन्तु उसने किसी विदेशी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की हो तो वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और आयोग यदि उचित समझे तो उसे परीक्षा में प्रवेश दे सकता है ।

7. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस के पैरा 6 में निर्धारित फीस अवश्य देनी होगी ।

8. सभी उम्मीदवार जो सरकारी नौकरी में आकस्मिक या दैनिक वर कर्मचारी से इतर स्थायी या अस्थायी हैसियत से या कार्य प्रभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं अथवा जो सरकारी उद्यमों में कार्यरत हैं उन्हें यह परिवचन (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है ।

9. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

10. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो ।

11. जिस उम्मीदवार ने

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया हो, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों में फेरबदल किया गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में उम्मीदवारी के सम्बन्ध में किन्हीं अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा

(viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

(x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा

(xi) पूर्वोक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने या करने के लिए अवप्रेरित करने का प्रयास किया हो, जैसी भी स्थिति हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे :—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से अपवर्जित किया जा सकता है, और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है ।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक

(i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो ।

12 जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उतने न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेगा जितने आयोग अपने निर्णय से निश्चित करे तो उसे आयोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाएगा ।

किन्तु शर्त यह है कि यदि आयोग के मतानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार इन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य स्तर के आधार पर पर्याप्त संख्या में व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाए जा सकेंगे तो आयोग द्वारा स्तर में ढील देकर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को व्यक्तिगत परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है ।

13. परीक्षा के बाद, आयोग उम्मीदवारों के द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम में उनकी सूची बनाएगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों में से जितने लोगों को आयोग परीक्षा के आधार पर योग्य समझेगा उनकी इन रिक्तियों पर नियुक्ति करने के लिए अनुशंसा की जाएगी । उक्त परीक्षा के परिणाम के आधार पर जितनी अनारक्षित रिक्तियों को भरने का निर्णय किया जाता है ये नियुक्तियां उनको देखकर होंगी ।

परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार नहीं लिए जा सकते हों तो उनके आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्य क्रम में उनका कोई भी स्थान क्यों न हो, नियुक्ति के लिए उनकी अनुशंसा की जा सकेगी, बशर्ते कि ये उम्मीदवार इस सेवा पर नियुक्ति के उपयुक्त हों ।

14. प्रत्येक उम्मीदवार की परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा, आयोग परीक्षा फल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा ।

15. यदि कोई उम्मीदवार दोनों सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहा हो तो उम्मीदवार द्वारा अपना आवेदन-पत्र देते समय व्यक्त किए गए वरीयता क्रम पर उचित रूप से विचार किया जाएगा ।

जिन सेवाओं के लिए उम्मीदवार विचार किए जाने के इच्छुक थे उन सेवाओं के लिए उनके द्वारा वर्णाए गए वरीयता क्रम में परिवर्तन से संबद्ध किसी भी अनुरोध को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा अनुरोध लिखित परीक्षा के परिणामों की "रोजगार समाचार" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्राप्त नहीं हो जाता ।

16. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता, जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है ।

17. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे सम्बन्धित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्य को कुशलतापूर्वक न निभा सके । यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निर्धारित डाक्टरी परीक्षा के दौरान किसी उम्मीदवार के बारे में यह पाया जाए कि वह इन अपेक्षाओं को पूरी नहीं कर सकता है तो नियुक्ति नहीं की जाएगी । व्यक्तित्व परीक्षण के लिए आयोग द्वारा बुलाए गए उम्मीदवारों की स्वास्थ्य परीक्षा कराई जा सकती है ।

टिप्पणी : कहीं निराश न होना पड़े इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवा लें । नियुक्ति से पहले उम्मीदवार की किस प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उसके स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, इसके ब्यौरे इन नियमों के परिशिष्ट III में दिए गए हैं । रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त हुए सैनिकों को और 1971 के भारत-पाक संघर्ष के दौरान विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों की सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप डाक्टरी जांच के स्तर में छूट दी जाएगी ।

18. जिस व्यक्ति ने

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसका पहले से जीवित पति/पत्नी हो, या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, तो वह उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

19. इस परीक्षा के माध्यम से जिन सेवाओं के सम्बन्ध में भर्ती की जा रही है उनका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट II में दिया गया है ।

पी० जी० लेले
उप सचिव

परिशिष्ट I

यह परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार संचालित होगी ।

भाग I—नीचे दिखाए गए विषयों में एक लिखित परीक्षा जिसके पूर्णांक 900 होंगे ।

भाग II—आयोग द्वारा जिन उम्मीदवारों को बुलावा जाता है, उनके लिए मौखिक परीक्षा इस [परिशिष्ट की अनुसूची का भाग (क) देखिए] जिसके पूर्णांक 250 होंगे ।

2. भाग I के अन्तर्गत लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषय प्रत्येक विषय के प्रश्न-पत्र के लिए निर्धारित पूर्णांक और समय का विवरण इस प्रकार है :—

क्रम सं०	विषय	कोड सं०	अधिकतम अंक	दिया गया समय
1	2	3	4	5
	भारतीय अर्थ सेवा			
1.	सामान्य अंग्रेजी	01	150	3 घंटे
2.	सामान्य अध्ययन	02	150	3 घंटे
3.	सामान्य अर्थशास्त्र-I		200	
	भाग–I	03	भाग–I एक घंटा	3 घंटे
	भाग–II	04	भाग–II दो घंटे	
4.	सामान्य अर्थशास्त्र–II		200	
	भाग–I	05	भाग-I 1 घंटा	3 घंटे
	भाग–II	06	भाग-II 2 घंटे	
5.	भारतीय अर्थशास्त्र		200	
	भाग I	07	भाग-I 1 घंटा	3 घंटे
	भाग II	08	भाग-II 2 घंटे	

विशेष ध्यान :—उपर्युक्त क्रम सं० 3 से 5 तक के विषयों के प्रश्न-पत्रों के मामले में यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर परीक्षा भवन में नहीं पहुंचता है और प्रश्न पत्र के भाग I की परीक्षा में प्रवेश नहीं ले पाता है तो वह उक्त प्रश्नपत्र के भाग II में प्रवेश का पात्र नहीं होगा ।

	ख. भारतीय सांख्यिकी सेवा			
1.	सामान्य अंग्रेजी	01	150	3 घंटे
2.	सामान्य अध्ययन	02	150	3 घंटे
3.	सांख्यिकी I	09	200	3 घंटे
4.	सांख्यिकी II	10	200	3 घंटे
5.	सांख्यिकी III	11	200	3 घंटे

नोट I—सामान्य अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन विषयों पर प्रश्न-पत्रों में केवल वस्तुपूरक प्रश्न पूछे जाएंगे ।

नोट II—भारतीय अर्थ सेवा के उपर्युक्त क्रमांक 3 से 5 के विषयों से संबंधित प्रश्न-पत्र के भाग I में केवल वस्तुपूरक प्रश्न पूछे जाएंगे और इन विषयों के प्रश्न-पत्रों के भाग II में संक्षिप्त उत्तर और निबंध वाले प्रश्न पूछे जाएंगे ।

नोट III—भारतीय सांख्यिकी सेवा के क्रमांक 3 से 4 विषयों के प्रश्न-पत्रों में केवल वस्तुपूरक प्रश्न पूछे जाएंगे और क्रमांक 5 से संबंधित प्रश्न-पत्र में निबन्ध वाला प्रश्न पूछा जाएगा ।

नोट IV—अन्य विवरण के लिए, जिसमें विभिन्न विषयों के प्रश्न पत्रों में पूछे जाने वाले वस्तुपूरक प्रश्न भी शामिल हैं, नोटिस के अनुबंध II पर उम्मीदवारों की विवरणिका देखिए ।

नोट V—उपर्युक्त विषयों के स्तर और पाठ्यक्रम इस परिशिष्ट की अनुसूची के भाग 'क' में दिए गए हैं ।

3. सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में लिखने चाहिएं ।

4. उम्मीदवार को प्रश्न-पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे । उन्हें किसी भी हालत में उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

5. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है ।

6. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक न हो तो उसको मिलने वाले कुल अंकों में से कुछ काट लिए जाएंगे ।

7. केवल सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे ।

8. कम से कम शब्दों में सुव्यवस्थित, प्रभावशाली और सही ढंग से की गई अभिव्यंजना को श्रेय दिया जाएगा ।

9. प्रश्न-पत्रों में जहां, आवश्यक हो, तोलों और मापों की केवल मिट्रिक प्रणाली से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे ।

10. उम्मीदवारों को परंपरागत (निबंधात्मक) प्रकार के प्रश्न पत्रों के लिए बेटरी से चलने वाले पाकेट कैलकुलेटर परीक्षा भवन में लाने और उनका प्रयोग करने की अनुमति है। परीक्षा भवन में किसी से कैलकुलेटर मांगने या आपस में बदलने की अनुमति नहीं है।

यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि उम्मीदवार वस्तुपरक प्रश्नपत्रों (परीक्षण पुस्तिका) का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटरों का प्रयोग नहीं कर सकते। अतः वे इन्हें परीक्षा भवन में न लाएं।

11. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

अनुसूची भाग 'क'

सामान्य अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन के प्रश्न-पत्र किसी भारतीय विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट से अपेक्षित स्तर के होंगे। अन्य विषयों के प्रश्न-पत्र संबंधित विषयों में किसी भारतीय विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री परीक्षा के समकक्ष होंगे। उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सिद्धांत को तथ्यों के आधार पर स्पष्ट करें और सिद्धान्त की सहायता से समस्याओं का विश्लेषण करें। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के क्षेत्र (क्षेत्रों) में उनसे आशा की जाती है कि वे भारतीय समस्याओं से विशेष रूप से परिचित हों।

सामान्य अंग्रेजी (कोड सं० 01)

प्रश्न इस प्रकार पूछे जाएंगे जिससे उम्मीदवारों की अंग्रेजी समझने और अंग्रेजी शब्दों का कुशल प्रयोग करने की क्षमता की जांच हो सके।

सामान्य अध्ययन (कोड सं० 02)

सामान्य अध्ययन के प्रश्न-पत्र में वर्तमान घटनाक्रम की जानकारी शामिल होगी और कुछ ऐसे मामले भी होंगे जो दैनिक निरीक्षण और अनुभव से संबंधित हैं और जिनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक पढ़ा-लिखा आदमी समझ सकता है। इस प्रश्न-पत्र में भारत के इतिहास और भूगोल से संबंधित प्रश्न भी होंगे जिनका स्तर उत्तर विशेष अध्ययन के बिना ही उम्मीदवार दे सके।

सामान्य अर्थशास्त्र—I (भाग 1 के लिए कोड सं० 03 और भाग II के लिए 04)

उपभोक्ता की मांग का सिद्धांत : तटस्था वक्र, विश्लेषण, प्रकट अधिमानता अभिगम।

उत्पादन का सिद्धांत : उत्पादन के तत्व, उत्पादन कृत्य, प्रतिफल के नियम, प्रतिष्ठान और उद्योग का संतुलन।

मूल्य का सिद्धांत : विपणन व्यवस्था के विभिन्न रूपों में मूल्य निर्धारण सार्वजनिक उपयोगिता मूल्यन।

वितरण का सिद्धांत : उत्पादन के तत्वों का मूल्यन, भाड़ा, मजदूरी, ब्याज और लाभ के सिद्धांत, विशाल वितरण सिद्धांत, संकलन समस्या आय वितरण में असमानताएं।

कल्याण मूलक अर्थशास्त्र : प्राचीन और नवीन कल्याणमूलक अर्थशास्त्र, क्षतिपूर्ति नियम, नीतिमूलक पंक्तियां।

राष्ट्रीय आय की अवधारणा : सामाजिक लेखा, नियोजन का सिद्धांत निविष्ट और मुद्रास्फीति, शास्त्रीय और नवशास्त्रीय अभिगम नियोजन के बारे में कीन्स का सिद्धांत और कीन्स के बाद की गतिविधियां।

सामान्य अर्थशास्त्र II (भाग I के लिए कोड सं० 05 और भाग II के लिए 06)

आर्थिक विकास की अवधारणा और उसका मापन-विकास के सिद्धांत। विकासशील देशों के लक्षण और उनकी समस्याएं : जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास।

आयोजन : अवधारणा और पद्धतियां : आर्थिक संगठन की पूंजीवादी और समाजवादी प्रणालियों के अन्तर्गत आयोजन मिश्रित अर्थ व्यवस्था में आयोजन, परिवृश्यात्मक आयोजन, क्षेत्रीय आयोजन, निवेदश के निर्धारण और प्रविधियों का चयन।

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, व्यापार से लाभ, व्यापार की शर्तें, व्यापार नीति, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास, व्यापार शुल्क पद्धति के सिद्धांत।

भुगतान संतुलन : भुगतान संतुलन में असमानताएं, समंजन की प्रक्रिया, विदेश व्यापार, विनियम की दरें, आयात और विनिमय के नियंत्रक।

आई० एम० एफ० और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार : जी० ए० टी० टी०, आर्थिक विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहायता, आई० बी० आर० डी० और उसके अनुबन्ध।

मुद्रा : उसका मूल्य और प्रयोजन, मुद्रा नीति, केन्द्रीय और वाणिज्यिक बैंकों के कार्य।

राजवित्तीय नीति और उसके लक्ष्य : कराधान और व्यय के सिद्धांत, सार्वजनिक व्यय के लक्ष्य और परिणाम, कराधान का प्रभाव, और घटन-घाटे की वित्त व्यवस्था, सार्वजनिक ऋण का सिद्धांत।

अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का प्रयोग, सांख्यिकीय औसतें और विचलन के माप मूल्यों और परिमाणों के सूचकांक उनकी सीमाएं।

भारतीय अर्थशास्त्र (भाग I के लिए कोड सं० 07 और भाग II के लिए 08

भारतीय अर्थ व्यवस्था के बुनियादी लक्षण—विकास तंत्र—कृषि और उद्योग की भूमिका—विदेश-व्यापार की भूमिका—संतुलित विकास की अवधारणा।

आयोजन : उद्देश्य, प्राथमिकताएं और समस्याएं—पंचवर्षीय योजनाएं—साधन संपादन की समस्या।

कृषि : नया कृषि तंत्र— भू संबंध और भू सुधार—देहाती साख—सिंचाई और उर्वरकों का स्थान—कृषि विपणन—कृषि उत्पादों के मूल्य—फसल आयोजन—सामुदायिक विकास—उपजीविका और ग्रामोद्योग।

सहकारिता : ग्रामीण विकास में इसका स्थान—भारत में सहकार आंदोलन का विकास।

उद्योग : औद्योगिक विकास का व्यूह—स्थल निर्देश की समस्या—बृहदाकार और लघु उद्योगों की समस्याएं—औद्योगिक नीति—औद्योगिक संपदाएं—औद्योगिक वित्त के संसाधन—विदेशी पूंजी की भूमिका—सार्वजनिक उद्यम : संगठन, प्रबन्ध नियंत्रण और समर्थनीयता, मूल्य नीति।

श्रम : रोजगारी, बेरोजगारी और कम रोजगारी—औद्योगिक संबंध और श्रम कल्याण—श्रम नीति—मजदूरी, मूल्य और आय नीति।

विदेशी व्यापार : भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं—विदेशी व्यापार नीति—राज्य व्यापार—भुगतान संतुलन।

मुद्रा और बैंकिंग : भारतीय मुद्रा विपीण का संगठन—वाणिज्यिक बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंकों की कार्यप्रणाली—मुद्रा नीति।

सार्वजनिक वित्त : वित्तीय नीति—सार्वजनिक व्यय की वृद्धि—कराधान नीति—संघ और राज्य सरकारों के लिए राजस्व के प्रमुख स्रोत—सार्वजनिक ऋण नीति—घाटे की वित्त व्यवस्था—संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध।

सांख्यिकी—I (कोड सं० 09)

नोट : केवल वस्तुपरक (बहुविकल्पक) प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे।

प्रायिकता (40 प्रतिशत प्रधानता) माप सिद्धांत के तत्व—प्रसिद्ध परिभाषाएं और स्वयं सिद्ध अभिगम—प्रतिदर्श अवकाश संकुल और संकलित प्रायिकता के नियम—घटनाओं में से घटनाओं की प्रायिकता—

प्रतिबंधित प्रायिकता--बेयसं का प्रमेय--असंयोगिका विचरण--विरल और अविरल--वितरण कार्य--मानक प्रायिकता वितरण--बरनौली, समरूप, द्विपदीय, पाइसन, ज्यामितीय, आयत, घातीय सामान्य, काची, पराज्याह मितीय, बहुपदीय, लाप्लेस, ऋणद्विपीयी, बीटा, गामा, लघुसामान्य तथा संकलित पाइसन वितरण--अभिसरण, वितरण में, प्रायिकता में और प्रायिकता एक के साथ और माध्य वर्ग में--आघुर्णन और संचायक--गणितीय अपेक्षा और प्रतिबंध अपेक्षा--लक्षणात्मक फलन और आघूर्ण तथा प्रायिकता जनक फलन--विलोम विलक्षणता और सातत्य सिद्धांत--टेकेवाइचेक और कोलमोगोरोव असमानताएं--बृहत संख्या नियम और स्वतंत्र विचरणों के लिए केन्द्रीय सीमा सिद्धांत।

सांख्यिकीय पद्धतियां (45 प्रतिशत प्रधानता)

तथ्यों का संग्रह, संकलन और प्रस्तुतीकरण--चार्ट, डायग्राम और हिस्टोग्राम--आवृत्ति वितरण--निर्देशन, विक्षेपण और विषमता का माप द्विचर और बहुचर तथ्य--साहचर्य और आसंग--वक्र समंजन और लांबिक बहुपद--द्विचर वितरण--द्विचर सामान्य वितरण--समाश्रयण, रेखीय, बहुपदीय--सहसंबंध गुणांक का वितरण- आंशिक और बहुल सहसंबंध अन्तर्गीय सहसंबंध अनुपात।

मानक त्रुटियां और बृहत प्रतिदर्श--परीक्षण प्रतिदर्श वितरण--x,s,t,chi--वर्ग और--F--इन पर आधारित प्रमुखता परीक्षण--गैर परामितीय परीक्षण--साइन, मीडियम, रन, विलकाक्सन, मनविटनी, वाल्ड बुल्फोविट्ज आदि--वरीयता क्रम सांख्यिकी--अल्पतम, अधिकतम, रेंज और मीडियम।

आंकड़ों का विश्लेषण (15 प्रतिशत प्रधानता)

लांगरैंज, न्यूटन-ग्रेगरी न्यूटन (विभाजित अंतर), गास और स्टर्लिंग पर प्रचलित अन्तर्वेशन सूत्र (शेष संभावना सहित),--यूलर मक्लारिन का--संकलन सूत्र--विलोम अन्तर्वेशन--आंकड़ों का समाकलन और अवकलन--प्रथम गुणांक का विभेद समीकरण--स्थिर गुणकों के साथ एक घातीय विभेद समीकरण--

सांख्यिकी--II (कोड सं० 10)

नोट:--केवल वस्तुपरक (बहु विकल्पक) प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे।

एकाधातीय प्रतिमान (25 प्रतिशत प्रधानता)।

एक घातीय आकलन का सिद्धांत--गास मार्कोफ प्रतिष्ठापन--कनिष्ठ वर्ग आकलन--जी--विलोम का प्रयोग--एक तरफा और दो तरफा वर्गीकृत तथ्य का विश्लेषण--निश्चित, मिश्रित और याद्दच्छिक प्रभाव वाले प्रतिमान--समाश्रयण गुणकों के लिए परीक्षण--

आकलन (25 प्रतिशत प्रधानता)

अच्छे आकलन के लक्षण--अत्यधिक संभावना, कनिष्ठ ची वर्ग, आघूर्ण और कनिष्ठ वर्गों की आकलन पद्धतियां--अत्यधिक संभावना आकलन--क्रेमर राव असमानता--भट्टाचार्य परिसीमाएं--पर्याप्त आकलन--गुणन खंडन प्रमेय--संपूर्ण आकड़े--राव--ब्लैकावेल प्रमेय--विश्वास अंतराल आकलन--इष्टतम विश्वास परिसीमाएं।

परिकल्पना परीक्षण (25 प्रतिशत प्रधानता)

सरल और जटिल परिकल्पना--दो प्रकार की त्रुटियां--क्रांतिक क्षेत्र--विभिन्न प्रकार के क्रांतिक क्षेत्र और सरूप क्षेत्र--घातु फलन--अत्यंत प्रभावशाली और समान रूप से अत्यन्त प्रभावशाली परीक्षण--नेमन, पपिरसे आधारभूतसभा--अनभिनत परीक्षण--स्थालीपु लाक परीक्षण--संभावना अनुपात परीक्षण--वाल्ड का SPRT—OC और ASN फलन--निर्णय के प्राथमिक तत्व और खेल सिद्धांत।

बहुचर विश्लेषण (25 प्रतिशत प्रधानता)

बहुचर सामान्य वितरण--माध्य प्रसारक का आकलन और सहचारिता व्यूह--होटलिंग का T_2 स्थतिक--महलनाबिस का D_2 स्थतिक--बहुचर सामान्य जनसंख्या के प्रतिदर्श में आंशिक और बहुल सहसंबंध गुणांक--विशाष का वितरण, उसका प्रतिरूपणात्मक और अन्य स्वभाव--विल्क का निष्कर्ष--विवेचनात्मक फलन--प्रमुखघटक--नियमानुकलन विचर और सहसंबंध--

सांख्यिकी-III (कोड सं० 11)

नोट:--केवल निबंध शैली के प्रश्न पूछे जाएंगे जिन में सुदीर्घ और जटिल निरूपण आवश्यक न हों।

भाग 'क' (सब के लिए अनिवार्य)

प्रतिदर्श प्रविधियां (35 प्रतिशत प्रधानता)

जनगणना बनाम प्रतिदर्श सर्वेक्षण--प्रारंभिक और विस्तृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण--प्रतिस्थापन के साथ या उसके बिना सरल या वैकल्पिक प्रति चयन और प्रतिदर्शी आवंटन--लागत और विचरण फलन--आकलन की आनुपातिक और समाश्रयी पद्धतियां--आकार के समानुपात में प्रायिकता सहित प्रतिचयन--संकुल, दुहरा, बहुरूपी, बहुस्तरीय और व्यवस्थित प्रतिचयन--अंत, प्रवेशी उप प्रतिचयन--प्रतिचयनेत्तर त्रुटियां।

अर्थ सांख्यिकी (25 प्रतिशत प्रधानता)

समय श्रेणी के घटक--उनके निर्धारण की विधियां--विचरण विभेद पद्धति--यूल, स्लत्स्की, प्रभाव--सहसंबंध चित्र--प्रथम और द्वितीय क्रम के स्वयंसमाश्रयी प्रतिदर्श--समावधि चित्र का विश्लेषण--मूल्यों और परिमाणों के सूचकांक और उनके सापेक्ष गुण--थोक और खुदरा मूल्यों के सूचकांक की रचना--आय वितरण--पैरिटो और एंगेल वक्र--एकाग्रता वक्र--राष्ट्रीय आय का आकलन करने की पद्धतियां--अंतरातर प्रवाह--अन्तरौद्योगिक तालिका।

भाग (ख)

(उम्मीदवार निम्नांकित विषयों में से किसी भी विषय पर प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं)।

(i) सांख्यिकीय गुण नियंत्रण और परिचालन अनुसंधान (40 प्रतिशत प्रधानता)

विचरों और गुणों के लिए विभिन्न प्रकार के नियंत्रक चित्र--गुणों के द्वारा स्वीकृति प्रतिचयन--एकल, द्वंद्व, बहुल और श्रृंखलामूलक प्रतिचयन योजनाएं--OC और ASN--फलन-- AOQL और ATI की धारणा--विचर के द्वारा स्वीकृति प्रतिचयन--डाड्ज रोमिक और अन्य तालिकाओं का प्रयोग।

परिचालन अनुसंधान का अभिगम--रेखागत कार्यापतन के प्राथमिक तत्व--सिम्प्लेक्स प्रक्रिया--परिवहन और नियोजन समस्याएं--द्वंद्वात्मकता का नियम--एकल और बहुल आवधिक सूची नियंत्रण के नमूने-- ABC विश्लेषण--प्रतीक्षा रेखा प्रतिदर्श के लक्षण—M/M_1,M/M/C नमूने--ग्राम नकली की समस्याएं--नष्ट या क्षीण होने वाले तत्वों के प्रतिस्थापन के नमूने।

(ii) जनांकिकी और जन्म-मरण आंकड़े (40 प्रतिशत प्रधानता)

जीवन-तालिका, उसका निर्माण और लक्षण--मेकहम और गामपर्ट्स वक्र--राष्ट्रीय जीवन तालिकाएं--राष्ट्र संघ की जीवन तालिकायों के नमूने--संक्षिप्त जीवन तालिकाएं--स्थिर और स्थायी जनसंख्या--विभिन्न जन्म गतियां--कुल प्रजनन गतियां--कुल और निवल उत्पादन गतियां--विभिन्न मरण गतियां--मानकीकृत मरण गति--आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रजनन--निवल प्रव्रजन अंतर्राष्ट्रीय और जनगणनोत्तर आकलन--वृद्धि, घाती वक्र संमजन सहित प्रक्षेपण विधियां--भारत में दशाब्दीय जनगणन।

(iii) प्रयोग रूप कल्पना और विश्लेषण (40 प्रतिशत प्रधानता)

प्रयोग रूप कल्पना के नियम--पूर्णरूप से या वृच्छिक बनाए गए, यादृच्छिक खंड और रैटिन चौक अभिकल्पों का विन्यास और विश्लेषण--क्रमगुणित प्रयोग और 2^3 और 3^3 प्रयोगों में संभ्रम--खंड और उपखंड

अभिकल्प—संतुलित और अर्ध संतुलित अपूर्ण वर्ग अभिकल्पों की रचना और विश्लेषण—सहचारिता का विश्लेषण—लांबिकेतर तथ्यों का विश्लेषण—लुप्त और मिश्रित व्यूह के तथ्यों का विश्लेषण।

(iv) अर्थमीति (40 प्रतिशत प्रधानता)

उपभोक्ता मांग का सिद्धांत और विश्लेषण—मांग फलन का विशिष्टीकरण और आकलन—मांग की लोच—संरचना और नमूना—एकल समीकरण शैली में प्राचलों का आकलन—परंपरागत अल्पतम वर्ग, साधारणीकृत अल्पतम वर्ग—विप्रदेयता, क्रमागत सहसंबंध—बहुल समरेखीयता—चिर प्रतिदर्श में त्रुटियां—समकालिक समीकरण प्रतिदर्श—तदात्मकता, वरीयता क्रम और क्रमण परिस्थितियां—परोक्ष अल्पतम वर्ग और दो स्तरीय अल्पतम वर्ग—अल्पकालिक आर्थिक भविष्य कथन।

भाग ख

मौखिक परीक्षा

उम्मीदवारों को साक्षात्कार सुयोग्य और निष्पक्ष विद्वानों के बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिनके सामने उम्मीदवार का सर्वांगीण जीवनवृत्त होगा। साक्षात्कार का उद्देश्य यह है कि इस सेवा के लिए व्यक्ति की दृष्टि से उम्मीदवार उपयुक्त है अथवा नहीं। उम्मीदवारों से आशा की जाएगी कि वे केवल अपने विद्याध्ययन के विशेष विषयों में ही सूझ-बूझ के साथ रूचि न लेते हों, अपितु उन घटनाओं में भी रुचि लेते हों, जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही हैं तथा आधुनिक विचारधाराओं और उन नई खोजों में रुचि लें, जिनके प्रति एक सुशिक्षित व्यक्ति में जिज्ञासा उत्पन्न होती है।

साक्षात्कार महज जिरह की प्रक्रिया नहीं है अपितु स्वाभाविक निवेशन और प्रयोजनयुक्त वार्तालाप की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य उम्मीदवारों के मानसिक गुणों और समस्याओं को समझने की शक्ति को अभिव्यक्त करना है। बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों की मानसिक सतर्कता, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति, संतुलित निर्णय और मानसिक सतर्कता, सामाजिक संगठन की योग्यता, चारित्रिक ईमानदारी, नेतृत्व की पहल और क्षमता के मूल्यांकन पर विशेष बल दिया जाएगा।

परिशिष्ट II

इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है, उनका संक्षिप्त ब्योरा :

1. जो उम्मीदवार दोनों में से किसी भी सेवा के लिए सफल होंगे, उनकी नियुक्ति उस सेवा के ग्रेड IV में परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष होगी, और इस अवधि को घटाया भी जा सकता है। सफल उम्मीदवारों की परिवीक्षा की अवधि में भारत सरकार के निणयानुसार निर्धारित प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम और शिक्षण तथा परीक्षा पास करनी होगी।

2. यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य कुशल की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है।

3. परिवीक्षा की अवधि या उसकी बढ़ाई हुई अवधि की समाप्ति पर यदि सरकार की राय में उम्मीदवार स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है तो सरकार उसे सेवा मुक्त कर सकती है।

4. यदि सरकार की राय में उम्मीदवार ने संतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि समाप्त कर ली है, और यदि वह स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाए तो उसे स्थायी पदों में मौलिक रिक्तियां उपलब्ध होने पर पक्का कर दिया जाएगा।

5. भारतीय अर्थ सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के निर्धारित वेतनमान निम्नलिखित हैं :—

चयन ग्रेड रु० 2000-125/2-2250

(सात फंक्शनल)

ग्रेड—I निदेशक रु० 1800-100-2000

ग्रेड—II संयुक्त निदेशक रु० 1500-60-1800

ग्रेड—III उप निदेशक रु० 1100-50-1600

ग्रेड—सहायक निदेशक रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300

6. उक्त सेवा के अगले ग्रेड IV में पदोन्नति समयसमय पर यथासंशोधित भारतीय अर्थ सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

भारतीय अर्थ सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारी को केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत भारत में कहीं भी या भारत के बाहर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है अथवा इनको किसी राज्य सरकार या गैर-सरकार संगठन में निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है।

7. दोनों सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तें तथा छुट्टी तथा पेंशन इत्यादि अन्य केन्द्रीय सिविल सेवाओं ग्रुप "क" के सदस्यों पर लागू होने वाले नियमों द्वारा शासित होंगी।

8. भविष्य निधि की शर्तें वही हैं जो सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में उल्लिखित हैं किन्तु ऐसे संशोधनों की शर्तें के साथ जो समय-समय पर सरकार द्वारा किए जाएं।

परिशिष्ट III

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वे यह अनुमान लगा सकें कि वे अपेक्षित शारीरिक स्तर के हैं या नहीं। ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों (मेडिकल एक्जामिनर्स) के मार्ग निर्देशन के लिए भी हैं।

भारत सरकार को स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

1. नियुक्ति के लिए स्वस्थ ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षता पूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

2. भारतीय (एग्लोइंडियन सहित) जाति के उम्मीदवारों की आयु, कद और छाती के घेर के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझे व्यवहार में लाएं। यदि वजन, कद और छाती के घेरे में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और छाती का एक्सरे-लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा।

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में मापा जाएगा—वह अपने जूते उतार देगा और उस मापदण्ड (स्टेन्डर्ड) से, इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन सिवाय ऐड़ियों के पांवों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़े वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिंडलियां, नितम्ब, और कंधे माप-दंड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोढ़ी, नीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (बर्टेक्स आफ दी हैड लेवल) हारिजेंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे आ जाए। कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों में मापा जाएगा।

4. उम्मीदवार की छाती मापने का तरीका इस प्रकार है—उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों, और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों। फीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जाएगा कि पीछे की ओर इसका ऊपरी किनारा असफलक (शोल्डर ब्लैड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर-ऐंग्ल्स) से लगा और फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े समतल (हारिजेंटल प्लेन) में रहे। फिर भुजाओं

को नीचा किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कंधे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं ताकि फीता अपने स्थान से हट न पाए। तब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और छाती का अधिक से अधिक फैलाव गौर से नोट किया जाएगा और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा, 84-89, 86-93 आदि। माप को रिकार्ड करते समय आधे सेंटीमीटर से कम के भिन्न (फेक्शन) को नोट नहीं करना चाहिए।

नोट :—अंतिम निर्णय करने से पूर्व उम्मीदवार का कद और छाती दो बार नापने चाहिएं।

5. उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका वजन किलोग्रामों में रिकार्ड किया जाएगा, आधे किलोग्राम से कम के फ्रेक्शन को नोट नहीं करना चाहिए।

6. (क) उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी। प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा।

(ख) चश्मे के बिना नजर (नेकड आईविजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक मामले में मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक इन्फारमेशन) मिल जाएगी।

(ग) चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा :—

दूर की नजर		नजदीक की नजर	
अच्छी आंख (ठीक की हुई दृष्टि)	खराब आंख	अच्छी आंख (ठीक की हुई दृष्टि)	खराब आंख
6/9	6/9 या 6/12	जे० I	जे० II
6/9			

दृष्टि सम्बन्धी अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति करता हो।

(घ) मायोपिया फंडस के प्रत्येक मामले में परीक्षा की जानी चाहिए और उसके परिणाम रिकार्ड किए जाने चाहिए। यदि उम्मीदवार की ऐसी रोगात्मक दशा हो जोकि बढ़ सकती है और उम्मीदवार की कार्यकुशलता पर प्रभाव डाल सकती है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जाए।

(ङ) दृष्टि क्षेत्र में सभी सेवाओं के लिए सम्मुखन विधि (कन्फ्रन्टेशन मैथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र को पेरामीटर पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

(च) रतौंधी (नाइट ब्लाइंडनेस)—साधारणतया रतौंधी दो प्रकार की होती है, (1) विटामिन "ए" की कमी के कारण और (2) टीना के शारीरिक रोग के कारण जिसकी आम वजह रेटीनोटिस पिगमेंटोसा होती है। उपर्युक्त (1) में फंडस की स्थिति प्रसामान्य होती है, साधारणतया छोटी आयु वाले व्यक्तियों में और कम खुराक पाने वाले व्यक्तियों में दिखाई देती है और अधिक मात्रा में विटामिन "ए" के खाने से ठीक हो जाती है। ऊपर बताई गई (2) की स्थिति में फंडस प्रायः होती है और अधिकांश मामलों में केवल फंडस की परीक्षा से ही स्थिति का पता चल जाता है। इस श्रेणी का रोगी प्रौढ़ होता है और खुराक की कमी से पीड़ित नहीं होता है। सरकार में ऊंची नौकरियों के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति इस वर्ग में आते हैं। उपर्युक्त (1) और (2) दोनों के लिए अन्धेरा अनुकूलन परीक्षा में स्थिति का पता चल जाएगा। उपर्युक्त (2) के लिए, विशेषतया जब फंडस न हो तो इलैक्ट्रोरेटीनोग्राफी किए जाने की आवश्यकता होती है, इन दोनों जांचों (अन्धेरा अनुकूलन और रेटीनोग्राफी) में समय अधिक लगता है और विशेष प्रबन्ध और सामान की आवश्यकता होती है। इसलिए साधारण चिकित्सक जांच से इसका पता लगाना संभव नहीं है। इन तकनीकों बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय/विभाग को चाहिए कि वे बताएं कि रतौंधी के लिए इन जांचों का करना अनिवार्य है या नहीं। यह इस बात पर निर्भर होगा कि जिन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाने वाली है उनके कार्य की अपेक्षाएं क्या है और उनकी ड्यूटी किस तरह की होगी।

(छ) दृष्टि की तीक्ष्णता से भिन्न आंख की अवस्थाएं (आक्यूलर कंडीशन) :

(i) आंख की उस बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्तन त्रुटि (प्रोग्रेसव रिफेक्टिव एरर) का, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्ष्णता के कम होने की संभावना हो अयोग्यता का कारण समझा जाना चाहिए।

(ii) भेंगापन (स्क्विंट)। तकनीकी सेवाओं में, जहां द्विनेत्री (बाइनाकुलर) दृष्टि का होना अनिवार्य हो, दृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित स्तर की होने पर भी भेंगापन की अयोग्यता का कारण समझना चाहिए। दृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित स्तर की होने पर भेंगापन को अन्य सेवाओं के लिए अयोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिए।

(iii) एक आंख : यदि किसी व्यक्ति की एक ही आंख हो अथवा यदि उसकी एक आंख की दृष्टि ही सामान्य हो और दूसरी आंख की मन्द दृष्टि हो अथवा अप सामान्य दृष्टि हो, तो उसका प्रभाव प्रायः यह होता है कि व्यक्ति में गहरा बोध हेतु त्रिविम दृष्टि का अभाव होता है। इस प्रकार की दृष्टि कई सिविल पदों के लिए आवश्यक नहीं है। इस प्रकार के व्यक्तियों को चिकित्सा बोर्ड योग्य मानकर अनुशंसित कर सकता है। बशर्ते कि सामान्य आंख :

(i) की दूर की दृष्टि 6/6 और निकट की दृष्टि जे० I चश्मा लगाकर अथवा उसके बिना हो, बशर्ते कि दूर की दृष्टि के लिए किसी मेरिडियन में त्रुटि 4 डायोप्टिरिज से अधिक न हो।

(ii) की दृष्टि का पूरा क्षेत्र हो

(iii) की सामान्य रंग दृष्टि जहां अपेक्षित हो।

बशर्ते कि बोर्ड का यह समाधान हो जाए कि उम्मीदवार प्रश्नाधीन कार्य विशेष से संबंधित सभी कार्यकलापों का निष्पादन कर सकता है।

(ज) कान्टेक्ट लेंस :—उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय कान्टेक्ट लेंस के प्रयोग की आशा नहीं होगी यह आवश्यक है कि आंख की जांच करते समय दूर की नजर के लिए टाइप किए हुए अक्षरों का उद्भासन 15 फुट की ऊंचाई के प्रकाश से हो।

7. ब्लड प्रैशर :

ब्लड प्रैशर के सम्बन्ध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा। नार्मल उच्चतम सिस्टालिक प्रैशर के आकलन की काम चलाई विधि नीचे दी जाती है :—

(i) 15 से 25 वर्ष के युवा आयु से अधिक व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रैशर लगभग 100 जमा आयु से अधिक होता है।

(ii) 25 वर्ष से ऊपर आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रैशर के आंकलन करने में 110 में आधी आयु जोड़ देने का तरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है।

ध्यान दें:—सामान्य नियम के रूप में 140 एम० एम० से ऊपर के सिस्टलिक प्रेशर की और 90 एम० एम० से ऊपर डायस्टालिक प्रैशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए, और उम्मीदवार की योग्य या अयोग्य ठहराने के संबंध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें। अस्पताल की रिपोर्ट से यह पता लगाना चाहिए कि घबराहट (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रैशर में वृद्धि थोड़े समय रहती है या उसका कारण कोई कायिक (आर्गेनिक) बीमारी है? ऐसे सभी केसों में हृदय की एक्सरे और विद्युत हृदयलेखी (इलैक्ट्रोकार्डियाग्राफिक) परीक्षाएं और रक्त यूरिया निकास (क्लियरेंस) की जांच भी नेमी रूप से की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अन्तिम फैसला केवल मैडिकलबोर्ड ही करेगा।

ब्लड प्रैशर (रक्त दाब) लेने का तरीका

नियमित पारे वाले दाबातरपापी (मर्करी मेनोमीटर) किस्म का उपकरण (इन्स्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म के व्यायाम या अबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए। रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी भुजा शिथिल और आराम से हो। कुछ हारिजेंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर भुजा को आराम से सहारा दिया जाए, भुजा पर से कंधे तक कपड़े उतार लेने चाहिएं। कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ को भुजा के अन्दर की ओर रख कर और इसके नीचे किनारे की कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले।

कोहनी के मोड़ पर प्रगंड धमनी (ब्रेकियल आर्टरी) को दबा-दबा कर ढूंढा जाता है और तब इसके ऊपर बीचो-बीच स्टेथस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे। कफ में लगभग 200 एम० एम० एच० जी० हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे धीरे हवा निकाली जाती है। हल्की श्रमिक ध्वनि सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का काम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है। जब और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेंगी। जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त प्रायः हो जायें, वह डायस्टालिक प्रेशर है। ब्लड प्रैशर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकर होता है और इससे रीडिंग गलत हो जाती है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाये। (कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दाब गिरने पर ये गायब हो जाती हैं और निम्न स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती हैं) इस साइलेंट गैप से रीडिंग में गलती हो सकती है।

8. परीक्षक की उपस्थिति में ही किए गए मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके अन्य सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायबिटीज) के द्योतक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लुकोजमेह (ग्लाइकोसूरिया) के सिवाए, अपेक्षित मैडिकल फिटनैस के स्टैंडर्ड के अनुरूप पाये तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लुकोजमेह अमधुमेही (नान डायबिटिक) हो और बोर्ड केस को मेडिसिन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों, मेडिकल विशेषज्ञ स्टैंडर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टेस्ट समेत जो भी क्लिनिक या लेबोरेटरी परीक्षा जरूरी समझेगा करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की "फिट" या "अनफिट" की अन्तिम राय आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाये।

9. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते या उससे अधिक समय की गर्भवती पाई जाती है तो उसको अस्थायी रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसव न हो जाए। किसी रजिस्टर्ड मैडिकल प्रेक्टिशनर से अरोग्यता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, प्रसूति की तारीख से 6 हफ्ते बाद आरोग्य प्रमाण-पत्र के लिए उसको फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए।

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिए :—

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की बीमारी का कोई चिह्न है या नहीं। यदि कान को कोई खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान-विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य-क्रिया (आपरेशन) या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो। चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्गदर्शन के लिए इस संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शक जानकारी दी जानी है :—

1. एक कान में प्रकट अथवा पूर्ण बहरापन दूसरा कान सामान्य होगा।	यदि उच्च फ्रीक्वेंसी में बहरापन 30 डेसीबेल तक हो तो गैर-तकनीकी काम के लिए योग्य।
2. दोनों कानों में बहरेपन का प्रत्यक्ष बोध, जिसमें श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) द्वारा कुछ सुधार संभव हो।	यदि 1000 से 4000 तक की स्पीच फ्रीक्वेंसी में बहरापन 30 डेसीबेल तक हो तो तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के काम के लिए योग्य।
3. सैन्ट्रल अथवा मार्जिनल टाइप के टिमपेनिक मेम्बरेन में छिद्र	(i) एक कान सामान्य हो दूसरे कान में टिमपेनिक मैम्बरेन में छिद्र हो तो अस्थाई आधार पर अयोग्य।
	कान की शल्य-चिकित्सा की स्थिति सुधारने से दोनों कानों में मार्जिनल या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवारों को अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित करके उस पर नीचे दिए गए नियम 4(ii) के अधीन विचार किया जा सकता है। (ii) दोनों कानों में मार्जिनल या एटिक छिद्र होने पर अयोग्य। (iii) दोनों कानों में सैन्ट्रल छिद्र होने पर अस्थाई रूप से अयोग्य।
4. कान के एक ओर से/दोनों ओर से मस्टायड केविटी से तबस नार्मल श्रवण	(i) किसी एक कान के सामान्य रूप से एक ओर से मस्टायड कैविटी से सुनाई देता हो, दूसरे कान में सबनार्मल श्रवण वाले कान/मस्टायड कैविटी होने पर तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिए योग्य।
	(ii) दोनों ओर से मस्टायड कैविटी तकनीकी काम के लिए अयोग्य, यदि किसी भी कान की श्रवणता श्रवणयंत्र लगाकर अथवा बिना लगाए सुधर कर 30 डेसीमल हो जाने पर गैर-तकनीकी कामों के लिए योग्य।
5. बहते रहने वाला कान-आपरेशन किया या/बिना आपरेशन वाला	तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिए अस्थायी रूप में अयोग्य।
6. नासापट की हड्डी संबंधी/विस्माताओं (ओनी डिफार्मिटी) सहित अथवा उससे रहित नाक की जीर्ण प्रदाहक/एलर्जिक दशा	(i) प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।
	(ii) यदि लक्षणों सहित नासापट अपसरण विद्यमान हो तो अस्थायी रूप से अयोग्य।
7. टांसिल्स और/या स्वर यंत्र (लैरिक्स) की जीर्ण प्रदाहक दशा।	(i) टांसिल और/या स्वर यंत्र (लैरिक्स) की जीर्ण प्रदाहक दशा-योग्य।

	(ii) यदि आवाज में अत्याधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थायी रूप से अयोग्य ।
8. कान नाक, गले (ई०एन०टी०) के हल्के अथवा अपने स्थान पर दुर्दम ट्यूमर ।	(i) हल्का ट्यूमर--अस्थाई रूप से अयोग्य ।
	(ii) दूर ट्यूमर--अयोग्य ।
9. आस्टोक्लिरोसिस	श्रवण यंत्र की सहायता से या आपरेशन के बाद श्रवणता 30 डेसीबेल के अन्दर होने पर योग्य ।
10. कान, नाक, अथवा गले के जन्म-जात दोष ।	(ii) यदि काम काज में बाधक न हो तो योग्य ।
	(ii) भारी माला में हकलाहट हो तो अयोग्य ।
11. नेजल पोली ।	अस्थायी रूप में अयोग्य ।

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता/हकलाती नहीं हो ।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं, और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा) ।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं, उसका दिल या फेफड़े ठीक हैं या नहीं ।

(ङ) उसे पेट की बीमारी है या नहीं है ।

(च) उसे रप्चर है या नहीं ।

(छ) उसे हाईड्रोसील, बढ़ी हुई वरिकोसिल, वेरिकाजशिरा (बन) या बवासीर है या नहीं ।

(ज) उसके अंगों, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा या नहीं और उसकी ग्रंथियां भली भांति स्वतंत्र रूप से हिलती हैं या नहीं ।

(झ) उसे कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नहीं ।

(ञ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं ।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं जिससे कमजोर गठन का पता लगे ।

(ठ) कारण टीके के निशान हैं या नहीं ।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग है या नहीं ।

11. दिल और फेफड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो, सभी मामलों में विशेष रूप से छाती की एक्स-रे परीक्षा की जानी चाहिए ।

सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य के संबंध में जहां कहीं संदेह हो चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष उम्मीदवार की योग्यता अथवा अयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर किसी उपयुक्त अस्पताल के विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है, उसे यदि किसी उम्मीदवार पर मानसिक त्रुटि अथवा विपथन (डेविएशन) से पीड़ित होने का संदेह होने में बोर्ड का अध्यक्ष अस्पताल से किसी मनोविकास विज्ञानी/मनोविज्ञानी से परामर्श कर सकता है ।

जब कोई रोग मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं ।

12. मेडिकल बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील करने वाले उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार रु० 50/- का अपील शुल्क जमा करना होता है । यह शुल्क केवल उन उम्मीदवारों को वापस मिलेगा जो अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा योग्य घोषित किए जायेंगे शेष दूसरों के बारे में यह जब्त कर लिया जाएगा । यदि उम्मीदवार चाहे तो अपने अयोग्य होने के दावे के समर्थन में स्वस्थता प्रमाण-पत्र संलग्न कर सकते हैं । उम्मीदवारों को प्रथम स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा भेजे गए निर्णय के 21 दिन के अन्दर अपील पेश करनी चाहिएं अन्यथा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के लिए अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा केवल नई दिल्ली में ही होगी और इसका खर्च उम्मीदवारों को ही देना पड़ेगा । दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के संबंध में की जाने वाली यात्राओं के लिए कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा । अपीलों के निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त होने पर अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा की जाने वाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबन्ध के लिए मंत्रिमंडल (कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है:--

शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाएं जाने वाले स्टैन्डर्ड में संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवा काल यदि हो के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए ।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भरती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइंटिंग अथारिटी) को यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इनफर्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो ।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही संबद्ध है जितना कि वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरंतर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवार के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या अन्यायगियों को रोकना है । साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि जहां प्रश्न केवल निरंतर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई दोष हो जो केवल बहुत कम स्थितियों में निरन्तर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो ।

बोर्ड में सामान्यतः तीन सदस्य होंगे (i) एक कार्य चिकित्सक (ii) एक शल्य चिकित्सक और (iii) एक नेत्र चिकित्सक । ये सभी यथासंभव साध्य समान स्तर के होने चाहिएं । महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा ।

भारतीय अर्थ सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा उम्मीदवारों को भारत में और भारत से बाहर क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) करनी होगी । इस प्रकार के किसी उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड को इस बारे में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के योग्य है या नहीं। डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए ।

ऐसे मामलों में जबकि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं । किन्तु डाक्टरी बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उसका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता ।

ऐसे मामलों में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिये उम्मीदवार को अयोग्य बताने वाली छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (औषध या शल्य) द्वारा दूर हो सकती है तो डाक्टरी बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए । नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जब यह खराबी दूर हो जाये तो दूसरे डाक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतन्त्र है ।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थाई तौर पर 'अयोग्य' करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम 6 महीने से कम

नहीं होनी चाहिए। निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो तो ऐसे उम्मीदवार को और आगे की अवधि के लिए अस्थाई तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिये उनकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं ऐसा निर्णय अंतिम रूप से दिया जाना चाहिए।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देनी चाहिए और उनके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए। नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए :—

1. अपना पूरा नाम लिखें ---------- (साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बतायें ----------

3. (क) क्या अनुसूचित जाति या गोरखा, गढ़वाली, असमिया, नागालैंड जनजाति आदि में से किसी जाति से संबंधित है जिसका औसत कद दूसरों से कम होता है 'हां' या 'नहीं' में उत्तर दीजिए। उत्तर 'हां' में हो तो उस जाति का नाम बताइए।

(ख) क्या आपको कभी खेचक रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियां (ग्लैंडस) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रुमटिज्म, एपेंडिसाइटिस हुआ है।

अथवा

(ख) दूसरी कोई बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है ?

4. आपको चेचक का टीका आखिरी बार कब लगा था ?

5. क्या आपको अधिक काम या दूसरे किसी कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई ?

6. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे दें :—

यदि पिता जीवित हो तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवत हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी आयु और मृत्यु का कारण
यदि माता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहनें जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहिनों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

7. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ?

8. यदि ऊपर के प्रश्न के उत्तर 'हां' में हो तो बताइये किस सेवा/किन सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी।

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ?

10. कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुआ ?

11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो ----------

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक हैं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर----------
मेरे सामने हस्ताक्षर किये----------
बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर----------

नोट :—उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होगा। जानबूझ कर किसी सूचना को छिपाने से वह नियुक्ति खो बैठने की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाए तो वार्धक्य निवृत्ति भत्ता (सुपरएनुएशन अलाऊंस) या उपदान (ग्रेच्यूटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा।

----------(उम्मीदवार का नाम) की शारीरिक परीक्षा की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट।

1. सामान्य विकास ----------अच्छा----------बीच का ----------कम ----------कम पोषण: पतला ----------औसत ----------मोटा ----------कब जूते उतारकर ---------- वजन ----------अत्यतम वजन ---------- कब था ? ----------वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन ---------- तापमान ---------- छाती की घेर ----------
   (1) पूरा सांस खींचने पर ----------
   (2) पूरा सांस निकालने पर ----------
2. त्वचा ----------कोई जाहिरी बीमारी
3. नेत्र ----------
   (1) कोई बीमारी ----------
   (2) रतौंधी ----------
   (3) कलर विजन का दोष ----------
   (4) दृष्टि नेत्र (फील्ड आफ विजन)----------
   (5) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्यीटी) ----------
   (6) फंडस की जांच ----------

दृष्टि की तीक्ष्णता	चश्मे के बिना	चश्मे से	चश्मे की क्षमता गोल बर्तुल एक्सिस
दूर की नजर	दा० ने०		
	बा० ने०		
पास की नजर	दा० ने०		
	बा० ने०		
हाइपर मैट्रोपिया (व्यक्त)	दा० ने०		
	बा० ने०		

4. कान : निरीक्षण ----------सुनना ----------दायां कान ----------बायां कान ----------
5. ग्रंथियां ----------थाइराइड ----------
6. दांतों की हालत ----------
7. श्वसन तंत्र (रसपरेटरी सिस्टम)—क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सांस के अंगों में से किसी असमानता का पता लगा है ? यदि पता लगा है तो असमानता का पूरा ब्यौरा दें;
8. परिसंचरण तंत्र (सर्क्यूलटरी सिस्टम)
   (क) हृदय : कोई आंगिक गति (आर्गेनिक लीजन) ----------
   गति (रेट) :—
   खड़े होने पर
   25 बार कुदाए जाने के बाद----------
   कुदाए जाने के 2 मिनट बाद ----------

(ख) ब्लड प्रेसर ----------सिस्टालिक ----------
----------डायस्टालिक ।

9. उदर (पेट) पेर----------स्पर्श सहता हर्निया :—

(क) दबा कर मालूम पड़ना/जिगर----------
तिल्ली ----------गुर्दे ----------
ट्यूमर ----------

(ख) रक्तार्श
भगंदर

10. तांत्रिक तंत्र (नव सिस्टम) तांत्रिका या मानसिक अशक्तता का संकेत ----------

11. चालतंत्र (लोकोमीटर सिस्टम) की असमानता ----------

12. जनन मूल तंत्र (जैनिरी यूरिनरी सिस्टम)----------हाइड्रोसील वरिकोसिल आदि का कोई संकेत ।

मूत्र परीक्षा :—

(क) कैसा दिखाई पड़ता है ?

(ख) अपेक्षित गुरुत्व (स्पेसिफिक ग्रेविटी) ।

(ग) एलबुमन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्ट

(च) कोशिकाएं (सैल्स)

13. छाती की एक्स-रे परीक्षा की रिपोर्ट ।

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह इस सेवा की ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है ।

नोट :—महिला उम्मीदवार के मामले में यदि यह पाया जाता है कि वह 12 सप्ताह की अवस्थिति अथवा उससे अधिक समय से गर्भिणी है तो उसे अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, देखें विनियम 9 ।

15. (i) क्या वह भारतीय अर्थ सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा में दक्षतापूर्वक और निरंतर कार्य करने के लिए सब तरह से योग्य पाया गया ।

(ii) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के लिए योग्य है ?

नोट :—बोर्ड को अपना जांच परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए :

(i) योग्य (फिट)

(ii) अयोग्य (अनफिट) जिसका कारण ----------

(iii) अस्थायी रूप से अयोग्य, जिसका कारण----------

स्थान ----------अध्यक्ष ----------

तारीख ----------सदस्य ----------

सदस्य ----------

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 4th December 1981

RESOLUTION

No. 13-1/78-DP.—The Government of India have decided to constitute the Central Dairy Development Council with effect from issue of Resolution.

2. The composition of the Council will be as under :—

Chairman

Secretary (Agriculture & Coop.)

Members

1. Additional Secretary (CCT)
2. Joint Secretary (DD)
3. Financial Adviser, Deptt. of Agriculture & Coop.
4. Animal Husbandry Commissioner.
5. Chairman, Indian Dairy Corporation/ National Dairy Development Board.
6. Representative from (i) Planning Commission, (ii) Department of Economic Affairs, (iii) Department of Heavy Industry, (iv) Department of Rural Reconstruction, (v) Director, N.D.R.I. Karnal.
7. Principal Secretaries/Secretaries of State Governments/Union Territories.
8. Managing Director, Indian Dairy Corporation/ Secretary, National Dairy Development Board.

Member Secretary

Director (Dairy Dev.)

Secretary

Joint Commissioner (D.D.).

3. All the Members will be nominated by the Government of India for a period of three years. The Chairman is also authorised to invite suitable experts and representatives of the various Implementing Agencies at the Central and State level to the meeting of the Council.

4. The Government of India may nominate, from time to time, additional members to represent interests not already represented on the Council.

5. The Council will be an advisory body and will have the following functions :

(i) to ensure close coordination amongst the various States/Agencies involved in the implementation of various Dairy Development programmes and projects like Operation Flood (I&II), World Bank assisted Projects etc.;

(ii) to help in the speedier action and decisions on problems requiring concurrence of various Ministries etc. in Government of India;

(iii) to monitor the progress of implementation of various projects/programmes with a view to ensure that the projects are implemented according to the time schedule and various problems coming up during implementation are resolved;

(iv) evaluation of the performance of various agencies entrusted with the specific tasks such as import and distribution of SMP and to see whether these activities are being carried out economically and efficiently;

(v) take special steps to ensure that maximum advantage is taken out of various projects and programmes in the limited time and wherever necessary make suitable adjustments;

(vi) attend to general policy issues on the milk production and marketing of milk, legal and institutional arrangements for ensuring proper quality of milk and milk products and other issues relating to dairy development; and

(vii) any other function, which may from time to time be assigned by the Government of India to the council.

6. The Council will meet periodically at such time and place as may be decided by the Chairman.

7. The Council may, by Resolution, appoint Committee for advising it in connection with problems relating to Dairy Development and for any other purposes as it may think fit.

ORDER

ORDER that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of Union Territories and the Departments of the Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

2. Order also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. RAJAGOPAL, Jt. Secy.

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

Bombay-400 001, the 10th November 1981

RESOLUTION

No. 38-SH(3)/80.—In pursuance of the Resolution of the Government of India in the late Ministry of Transport No. 55-MA(5)/52 dated the 8th May, 1954, as amended from time to time read with the Ministry of Shipping & Transport Resolution No. 55-MA(5)/72 dated the 3rd February, 1973, the Director General of Shipping, in exercise of the powers delegated to him vide Ministry's letter No. 1-MDS (28)/76-MA dated 15th October, 1976, is pleased to appoint the following members to constitute the Special Trade Passengers Welfare Committee, Calcutta for a period of two years from the date of this Resolution :

Chairman

1. The Principal Officer,
Mercantile Marine Department,
Marine House, Hastings,
Calcutta-700 001.

Members

2. The Protector of Immigrants,
Calcutta.
3. The Deputy Commissioner of Police,
Calcutta.
4. The Docks Manager,
Calcutta Port Trust,
Calcutta.
5. The Port Health Officer,
Calcutta.
6. The Asstt. Collector of Customs &
Superintendent of Preventive Services,
Calcutta.

Non-Official Members

7. Shri Manoranjan Bhakta, M.P.
Port Blair,
Ward No. 5, Aberdeen Bazar,
Port Blair,
(Andaman & Nicobar Islands).
8. Shri Pralay Talukdar, M.L.A.
248, Panchanantala Road,
Howrah, Calcutta-700 001.
9. Smt. Manjari Gupta, Advocate,
47-B, Shakespeare Sarani,
Calcutta-700 017.
10. Shri Md. Nizamuddin, M.L.A.
4, Noor Ali Lane,
Calcutta-700 014.
11. Dr. Ambarish Mukherjee, M.L.A
P.O. Nanara,
Purulia District.
12. Shri Trilok Chand Daga,
34, Amartala Lane,
Calcutta.
13. A Representative of the
Andaman & Nicobar Island
Administration.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Private and Military Secretaries to the President of India, the Prime Minister's Secretariat, the Lok Sabha Secretariat (with 10 copies), the Cabinet Secretariat, the Ministry of Shipping & Transport, the Planning Commission, all Ministries of the Government of India, all State Governments, the Chairman, Calcutta Port Trust, Calcutta, Indian National Shipowners Association, Scindia House, Ballard Estate, Bombay, Members of National Harbour Board, Principal Officer, Mercantile Marine Department, Bombay/Calcutta/Madras, Chairman and Members of Special Trade Passenger Welfare Committee, Calcutta, Deputy Principal Information Officer/Information Officer, PIB, New Delhi/Bombay.

ORDERED also that the Resolution be published in Gazette of India for general information.

S. M. OCHANEY,
Senior Deputy Director General of Shipping

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS)

RULES

New Delhi, the 16th January 1982

No. 11013/2/81-IES.—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1982 for the purpose of filling vacancies in Grade IV of the following Services are published for general information :—

(i) The Indian Economic Service, and

(ii) The Indian Statistical Service.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservation will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes, mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951; The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951 [as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976] the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh), Order, 1967, the Constitution (Goa Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970, the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978 and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, formerly Tanganyika and Zanzibar, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

5. (a) A candidate for admission to this examination, must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 28 years on 1st January, 1982 i.e. he must have been born not earlier than 2nd January, 1954 and not later than 1st January, 1961.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March 1971;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964, or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964.

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) from Vietnam as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July, 1975.

(vii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin (Indian passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July 1975.

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof; who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) or who is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia.

(xiii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia.

(xiv) up to a maximum of five years in case of ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or on account of Physical disability attributable to Military Service or on invalidment.

(xv) up to a maximum of ten years in case of ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or on account of Physical disability attributable to Military Service or on invalidment; who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

6. A candidate for the Indian Economic Service must have obtained a degree with Economics or Statistics as a subject and a candidate for the Indian Statistical Service must have obtained a degree with Statistics or Mathematics or Economics as a subject from any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification.

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to

be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than 30th September, 1982.

NOTE II.—In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate, who has not any of the foregoing qualifications, as a qualified candidate provided that he has passed examination conducted by other institutions the standard of which in the opinion of the Commission, justified his admission.

NOTE III.—A candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign University may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

7. Candidates must pay the fee prescribed in para 6 of the Commission's Notice.

8. All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily-rated employees or those serving under Public Enterprises will be required to submit an undertaking that they have informed in writing, their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

9. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

10. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

11. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination, or

(viii) writing, irrelevant matter, including, obscene language or pornographic matter, in the script(s) or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations; or

(xi) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration.

12. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for viva voce.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes may be summoned for viva voce by the Commission by applying relaxed standards if the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summoned for viva voce on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them.

13. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment upto the number of unreserved vacanies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes can not be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Services irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

14. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

15. In the case of the candidates competing for both the Services, due consideration will be given to the order of preference expressed by a candidate at the time of his application.

No request for alteration in the preference indicated by candidates in respect of Services for which they desired to be considered, would be entertained unless the request for such alteration is received in the office of the Union Public Service Commission within 30 days of the date of publication of the results of the written examination in the "Employment News".

16. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate having regard to his character and antecedents is suitable in all respects for appointment to the Service.

17. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical detect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such physical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Any candidate called for *viva voce* by the Commission may be required to undergo physical examination.

NOTE.—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix III to these Rules. For the disabled ex-Defence Services personnel and Border Security Force Personnel disabled in operations during the Indo-Pak hostilities of 1971 and released as a consequence thereof the standards will be relaxed consistent with the requirements of the Service(s).

18. No person :

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

19. Brief particulars relating to the Services to which recruitment is being made through this examination are stated in Appendix II.

P. G. LELE,
Deputy Secretary.

APPENDIX I

The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part I.—Written examination carrying a maximum of 900 marks in the subjects as shown below.

Part II.—*Viva Voce* (vide Part 'B' of the Schedule to this Appendix) of such candidates as may be called by the Commission, carrying a maximum of 250 marks.

2. The subjects of the written examination under Part I, the maximum marks allotted to each subject/paper and the time allowed shall be as follows :—

Sl. No.	Subject	Code No.	Maximum Marks	Time Allowed
1	2	3	4	5
A.	Indian Economic Service			
1.	General English	01	150	3 hrs.
2.	General Studies	02	150	3 hrs.
3.	General Economics I	200		
	Part I	03	Part-I-1hr.	3 hrs.
	Part II	04	Part-II-2hrs.	
4.	General Economics II	200		
	Part I	05	Part-I-1hr.	3 hrs.
	Part II	06	Part-II-2hrs.	
5.	Indian Economics	200		
	Part I	07	Part-I-1hr.	3 hrs.
	Part II	08	Part-II-2hrs.	

N.B.—In the case of papers on subjects at S. Nos. 3 to 5 above if a candidate does not reach the Examination Hall within the permissible time limit and is not admitted to the examination in Part I of the paper, he will not be entitled to be admitted to Part II of the paper.

B.	Indian Statistical Service			
1.	General English	01	150	3 hrs.
2.	General Studies	02	150	3 hrs.
3.	Statistics I	09	200	3 hrs.
4.	Statistics II	10	200	3 hrs.
5.	Statistics III	11	200	3 hrs.

NOTE I.—The papers on the subjects 'General English' and 'General Studies' will consist of objective type questions only.

NOTE II.—Part I of the paper on subjects at S. Nos. 3 to 5 above for the Indian Economic Service will consist of objective type questions only and Part II of the papers on these subjects will consist of short answer and essay type quetsions.:

NOTE III.—The papers on the subjects at S. Nos. 3 and 4 for the Indian Statistical Service will consist of objective type questions only and the paper on the subject at S. No. 5 will consist of essay type questions.

NOTE IV.—For details including sample quetsions for the papers on the subjects which will consist of objective type questions please see Candidates Informaiton Manual at Annexure II to the Commission's Notice.

NOTE V.—The standard and syllabi of the subjects mentioned above are given in Part A of the Schedule to this Appendix.

3. ALL QUESTIONS PAPERS MUST BE ANSWERED IN ENGLISH.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances, will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

6. If a candidate's handwriting is not easily legible, a deduction will be made on this account, from the total marks otherwise accruing to him.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words.

9. In the question papers wherever necessary, questions involving the use of Metric System of Weights and Measures only will be set.

10. Candidates are permitted to bring and use battery operated pocket calculators for conventional (essay) type papers only. Loaning or inter-changing of calculators in the Examination Hall is not permitted.

It is also important to note that candidates are not permitted to use calculators for answering objective type papers (Test Booklets). They *should not*, therefore, bring the same inside the Examination Hall.

11. Candidates should use only International Form of Indian numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.) while answering question papers.

SCHEDULE

PART A

The standard of papers in General English and General Studies will be such as may be expected of a graduate of an Indian University.

The standard of papers in the other subjects will be that of the Master's degree examination of an Indian University in the relevant disciplines. The candidates will be expected, to illusrtate theory by facts, and to analyse problems with the help of theory. They will be expected to be particularly conversant with Indian problems in the field(s) of Economics/Statistics.

GENERAL ENGLISH (CODE NO. 01)

The questions will be designed to test the candidate's understanding of English and workman like use of words.

GENERAL STUDIES (CODE NO. 02)

The paper in General Studies will include knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person. The paper will also include questions on Hisotry of India and Geography of a nature which candidates should be able to answer without special study.

GENERAL ECONOMICS—I (CODE NO. 03 FOR PART—I AND 04 FOR PART—II)

Theory of consumer's demand : Indifference curve analysis, Revealed preference approach.

Theory of production : Factors of production, Production function, Laws of return, Equilibrium of the firm and the industry.

Theory of value : Pricing under various forms of market organisation, Public utility pricing.

Theory of distribution : Pricing of factors of production. Theories of rent, wages, interest and profit. Macro distribution theory. Adding up problem. Inequalities in income distribution.

Welfare-economics : Old and new welfare economics. The compensation principle, policy implications.

Concept of national income. Social accounting.

Theory of employment output and inflation—the classical and neo-classical approaches. Keynesian theory of employment. Post Keynesian development.

GENERAL ECONOMICS—II (CODE NO. 05 FOR PART—I AND 06 FOR PART—II)

Concept of economics growth and its measurement. Theories of growth.

Characteristics and problems of developing countries. Population growth and economic development.

Planning : Concept and Methods. Planning under cepitalist and socialist forms of economic organisation. Planning in a mixed economy. Perspective planning. Regional planning. Investment criteria and choice of techniques.

International economics : Theories of international trade terms from trade. Terms of trade. Trade policy. International trade and economic development. Theory of tariffs.

Balance of payments, disequilibrium in balance of payments. Mechanism of adjustments. Foreign trade, multiplier. Exchange rates. Import and exchange controls.

I.M.F. and international monetary reforms. GATT : International aid for economic growth. I.B.R.D. and its affiliates.

Money : Its value and functions. Monetary policy. Functions of central and commercial banks.

Fiscal policy and objectives : Theories of taxation and expenditure. Objectives and effects of pubilc expenditure. Effects and incidence of taxation. Deficit financing. Theory of public debt.

Use of statistics in economics. Statistical averages and measures of dispersion. Index numbers of prices and quantities—their limitations.

INDIAN ECONOMICS (Code No. 07 for Part I and 08 for Part II)

Basic features of the Indian economy. Development strategy : Role of agriculture and industry; Role of foreign trade. Concept of balanced growth.

Planning : Objectives, priorities and problems. Five year plans. Problem of resource mobilisation.

Agriculture : New agricultural strategy : land relations and land reforms; rural credit, role of irrigation and fertiliser; agricultural marketing. Prices of agricultural produce. Crop planning. Community development. Subsidiary occupations and rural industries.

Cooperation : its role in rural developmnet. Growth of cooperative movement in India.

Industry : Strategy of industrial development, Problems of location, Problems of large and small. scale industries, Industrial policy, Industrial estates, Sources of industrial finance. Role of foreign capital. Public enterprises: Organisation, management control and accountability, price policy.

Labour : Employment, unemployment and under-employment. Industrial relations and labour welfare. Labour policy, Wages, prices and income policy.

Foreign Trade : Salient features of India's foreign trade Foreign trade policy. State trading. Balance of payment.

Money and Banking : organisation of the Indian money market. Functioning of the commercial banks and the Reserve Bank of India. Monetary policy.

Public Finance : Fiscal Policy; Growth of public expenditure. Tax policy. Main sources of revenue of Union and State Governments. Public debt policy. Deficit financing. Union-State financial relations.

STATISTICS—I (Code No. 09)

NOTE:—ONLY OBJECTIVE TYPE (MULTIPLE CHOICE) QUESTIONS WILL BE SET.

Probability (40 per cent weight)

Elements of measure theory, Classical definition and axiomatic approach. Sample space. Laws of total and compound probability. Probability of m events out of n. Conditional probability. Bayes' theorem. Random variables —discrete and continuous. Distribution function. Standard probability distributions—Bernoulli, uniform, Binomial, poison, geometric, rectangular, exponential, normal, cauchy,

hypergeometric, multinomial, Laplace, negative binomial beta, gamma, lognormal and compound Poisson distribution. Convergence in distribution, in probability, with probability one and in mean square. Moments and cumulants, Mathemetical expectation and conditional expectation. Characteristic function and moment and probability generating functions. Inversion, uniqueness and continuity theorems. Tchebycheff's and kolnogoroy's inequalities. Laws of large numbers and central limit theorems for independent variables.

Statistical methods (45 per cent weight)

Collection, compilation and presentation of data. Charts, diagrams and histogram. Frequency distribution. Measures of location, dispersion and skewness. Bivariate and multivariate data. Association and contingency. Curve fitting and orthogonal polynomials. Bivariate distributions. Bivariate normal distribution Regression-linear, polynomial. Distribution of the correlation coefficient. Partial and multiple correlation. Intraclass correlation. Correlation ratio.

Standard errors and large sample tests. Sampling distributions of x, S^2 t, chi-square and F; tesis of significance based on them.

Non-parametric tests—sign, median, run, Wilcoxon, Mann-Whitney, Wald-Wolfowitz etc. Rank order statistics—minimum, maximum, range and median.

Numerical Analysis (15 per cent weight)

Interpolation formulae (with remainder terms) due to Lagrange, Newton-Gregory, Newton (Divided difference), Gouss and Stirling. Eulor Maclaurin's summation formula. Inverse interpolation. Numerical integration and differentiation. Difference equations of the first order. Linear difference equations with constant co-efficients.

STATISTICS—II (Code No. 10)

NOTE :—ONLY OBJECTIVE TYPE (MULTIPLE CHOICE) QUESTIONS WILL BE SET.

Linear Models (25 per cent weight)

Theory of linear estimation. Gauss-Markoff set up. Least square estimators. Use of g-inverse. Analysis of one-way and two-way classified data—fixed, mixed and random effect models. Tests for regression co-efficients.

Estimation (25 per cent weight)

Characteristics of a good estimator. Estimation methods of maximum likelihood, minimum chi-square moments and least squares. Optimal properties of maximum likelihood estimators. Minimum variance unbiased estimators. Minimum variance bound estimators. Cramer-Rao inequality. Bhattacharya bounds. Sufficient estimator, Factorisation theorem. Complete statistics. Rao-Blackwell theorem. Confidence interval estimation. Optimum confidence bounds.

Hypothesis resting (25 per cent weight)

Simple and composite hypotheses. Two kinds of error. Critical region. Different types of critical regions and similar regions. Power function. Most powerful and uniformly most powerful tests. Neyman-Pearson fundamental lemma. Unbiased test. Randomised test. Likelihood ratio test. Wald's SPRT. OC and ASN functions. Elements of decision and game theory.

Multivariate Analysis (25 per cent weight)

Multivariate normal distribution. Estimation of mean Vector and covariance matrix. Distribution of Hotelling's T2 statistic. Mahalanobis's D^2 statistic, partial and multiple correlation coefficients in samples from a multivariate normal population. Wishart's distribution, its reproductive and other properties. Wilk's criterion. Discriminant function. Principal components. Canonical variates and correlations.

STATISTICS—III (Code No. 11)

NOTE :—ONLY ESSAY TYPE QUESTIONS, NOT INVOLVING LENGTHY AND COMPLICATED PROOFS, WILL BE SET.

PART A (Compulsory for all)

Sampling Techniques (35 per cent weight)

Census versus sample survey. Pilot and large scale sample surveys. Simple random sampling with and without replacement. Stratified sampling and sample allocations. Cost and variance functions. Ratio and regression methods of estimation. Sampling with probability proportional to size. Cluster double, multiphase, multistage, and systematic sampling. Interpenetrating sub-sampling. Non-sampling errors.

Economic Statistics (25 per cent weight)

Components of time series. Methods of their determination—variate difference method. Yule-Stutsky effect. Correlogram. Autoregressive models of first and second order. Periodogram analysis. Index numbers of prices and quantities and their relative merits. Construction of index numbers of wholesale and consumer prices. Income distribution—Pareto and Engel curves. Concentration curve. Methods of estimating national income. Inter-sectoral flows. Inter-industry table.

PART B

CANDIDATES WILL BE ALLOWED OPTION OF ANSWERING QUESTIONS ON ANY ONE OF THE FOLLOWING TOPICS

(i) *Statistical Quality Control and Operations Research* (40 per cent weight)

Different kinds of control charts for variables and attributes. Acceptance sampling by attributes—Single, double, multiple and sequential sampling plans. OC and ASN functions. Concept of AOQL and ATI. Acceptance sampling by variable—use of Dodge-Romig and other tables.

Operations research approach. Elements of linear programming. Simplex procedure. Transport and assignment problems. Principle of duality. Single and multi-period inventory control models. ABC analysis. Characteristics of a waiting line model. M/M/I, M/M/C models. General simulation problems. Replacement models for items that fail and of items that deteriorate.

(ii) *Demography and Vital Statistics* (40 per cent weight)

The life table, its construction and properties. Makeham's and Gompertz curves. National life tables. UN model life tables. Abridged life tables. Stable and stationary populations. Different birth rates. Total fertility rate. Gross and net reproduction rates. Different mortality rates. Standardised death rate. Internal and international migration; net migration. International and postcensal estimates. Projection methods including logistic curve fitting. Decennial population censuses in India.

(iii) *Design and Analysis of Experiments* (40 per cent weight)

Principles of design of experiments. Layout and analysis of completely randomised, randomised block and latin square

designs, Factorial experiments and confounding in 2^n and 3^n experiments. Split-plot and strip-plot design. Construction and analysis of balanced and partially balanced incomplete block designs. Analysis of covariance. Analysis of non-orthogonal data. Analysis of missing and mixed plot data.

(iv) *Econometrics* (40 per cent weight)

Theory and analysis of consumer demand—specification and estimation of demand functions. Demand elasticities. Structure and model. Estimation of parameters in single equation model—classical least squares, generalised least-squares, heteroscedasticity, serial correlation, multicollinearity, errors in variables model. Simultaneous equation models —Identification, rank and order conditions. Indirect least squares and two stage least squares. Short-term economic forecasting.

PART B

Viva Voce.—The candidate will be interviewed by a Board of competent and unbiased observers who will have before them a record of his career. The object of the interview is to assess his suitability for the Service or Services for which he has competed. The interview is intended to supplement the written examination for testing the general and specialised knowledge and abilities of the candidate. The candidate will be expected to have taken an intelligent interest not only in his subjects of academic study, also in events which are happening around him both within and without his own State or country as well as in modern currents of thought and in new discoveries which should rouse the curiosity of well-educated youth.

The technique of the interview is not that of strict cross examination, but of a natural, though directed and purposive conversation, intended to reveal the candidate's mental qualities and his grasp of problems. The Board will pay special attention to assessing the intellectual curiosity, critical powers of assimilation, balance of judgment and alertness of mind, the ability for social cohesion, integrity of character, initiative and capacity for leadership.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the two Services to which recruitment is being made through this examination :

1. Candidates selected for appointment to either of the two Services will be appointed to Grade IV of the Service on probation for a period of two years which may be extended if necessary. During the period of probation, the candidates will be required to undergo such courses of training and instruction and to pass such examination and tests as the Government may determine.

2. If in the opinion of Government the work or conduct of the officer on probation is unsatisfactory as shows that he is unlikely to become efficient Government may discharge him forthwith.

3. On the expiry of the period of probation or of any extension, if the Government are of opinion that a candidate is not fit for the permanent appointment Government may discharge him.

4. On completion of the period of probation to the satisfaction of Government, the candidate shall if considered fit for permanent appointment be confirmed in his appointment subject to the availability of substantive vacancies in permanent posts.

5. Prescribed scales of pay for both the Indian Statistical Service and the Indian Economic Service are as follows :

Selection Grade Rs. 2000—125/2—2250. (Non-functional)

Grade I—Director Rs. 1800—100—2000.

Grade II—Joint Director Rs. 1500—60—1800.

Grade III—Deputy Director Rs. 1100—50—1600.

Grade IV—Assistant Director Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300.

6. Promotion to the next Grade of the Service will be made in accordance with the provisions of Indian Economic Service/Indian Statistical Service Rules, as amended from time to time.

An officer belonging to the Indian Statistical Service/ Indian Economic Service will be liable to serve anywhere in India or abroad under the Central Government and may be required to serve in any post including any State Government or non-governmental organisation on deputation for a specified period.

7. Conditions of service and leave and pension etc. for officers of the two Services will be governed by the rules applicable to members of other Central Civil Services Group 'A'.

8. Conditions of Provident Fund are the same as laid down in the General Provident Fund (Central Services) Rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

APPENDIX III

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

These regulations are published for the convenience of candidates and to enable them to ascertain the probability of their being of the required physical standard. The regulations are also intended to provide guidelines to the medical examiners.

2. The Government of India reserve to themselves absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board.

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the Board.

3. The candidate's height will be measured as follows: —

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, calve, buttocks and shoulders touching the standard, the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together, and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the interior angles of the shoulder blades, behind and lies in the same

horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimetres 84—89, 86—93 etc. In recording the measurements, fractions of less than a centimetre should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

5. The candidate will also be weighed, and his weight recorded in kilograms; fraction of half a kilogram should not be noted.

6. (a) The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded.

(b) There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall, however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

(c) The following standards are prescribed for distant and near vision with or without glasses.

Distant vision		Near vision	
Better eye (Corrected vision)	Worse eye	Better eye (Corrected vision)	Worse eye
6/9	6/9 or 6/12	J-I	J-II

(d) In every case of myopia, fundus examination should be carried out and the results recorded. In the event of pathological condition being present which is likely to be progressive and affect the efficiency of the candidate, he should be declared unfit.

(e) *Field of vision.*—The field of vision will be tested by the confrontation method. When such rest gives unsatisfactory or doubtful results the field of vision should be determined on the perimeter.

(f) *Night Blindness.*—Broadly there are two types of night blindness. (1) as a result of Vit. A deficiency and (2) as a result or Organic Disease of Retina—a common cause being Retinitis pigmentosa, in (1) the fundus is normal generally seen in younger age-group and ill-nourished persons, and improves by large doses of Vit. A. in (2) the fundus is often involved and mere fundus examination will reveal the condition in majority of cases. The patient in this category is an adult, and may not suffer from malnutrition. Persons seeking employment for higher posts in the Government will fall in this category. For both (1) and (2) dark adaptation test will reveal the condition. For (2) specially when fundus is not involved electro-Retinography is required to be done. Both these tests (dark adaptation and retinography) are time-consuming and require specialized set-up and equipment, and thus are not possible as a routine test in a medical check-up. Because of these technical consideration it is for the Ministry/Department to indicate if these tests for night blindness are requried to be done. This will depend upon the job requirement and nature of duties to be performed by the prospective Government employee.

(g) *Ocular condition other than visual acuity.*—(i) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered a disqualification.

(ii) *Squint.*—For technical services where the presence of binocular vision is essential, squint, even if the visual acuity in each eye is of the prescribed standard should be considered a disqualification. For other services the presence of squint should not be considered as a disqualification, if the visual acuity is of the prescribed standard.

(iii) *One eye.*—If a person has one eye or if he has one eye which has normal vision and the other eye is employpic or has subnormal vision, the usual effect is that the person lacks stereoscopic vision for perception of depth. Such vision is not necessary for many civil posts. The medical board may recommend as fit such person provided the normal eye has—

(i) 6/6 distant vision and JI near vision with or without glasses provided the error in any meridian is not more than 4 dioptres for distant vision.

(ii) has full field of vision.

(iii) normal colour vision wherever required.

Provided the board is satisfied that the, candidate can perform all the functions for the particular job in question.

(h) *Contact Lenses.*—During the medical examination of a candidate, the use of contact lenses is not to be allowed. It is necessary that when conducting eye test, the illumination of the type letters for distant vision should have an illumination of 15 foot-candles.

7. *Blood Pressure*

The board will use its discretion regarding Blood Pressure.

A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15—25 years of age the average is above 100 plus the age.

(ii) With subjects over 25 years of the age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 and diastolic over 90 should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalization report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc. or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electro-cardiographic examination, of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the Medical Board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the patient, and particularly his arm is relaxed he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patients side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from clothes to the shoulder. The cuff completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm, and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 mm. Hg and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level of the column at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff (Some times as the cuff is deflated sounds are heard, at a certain level : they may disappear as pressure falls and reappear at a still lower level. This 'Silent Gap' may cause error in reading.)

8. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the result recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical tests the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidate fit subject to the glycosuria being non-diabetic and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical Specialist will carry out whatever examinations clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test, and will submit his opinion to the Medical Board upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

9. A woman candidate who as a result of tests is found to be pregnant of 12 weeks standing or over should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

10. The following additional points should be observed:—

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist : provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid, a candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear. The following are the guidelines for the medical examining authority in this regard:—

(1) Marked or total deafness in one ear other ear being normal.	Fit for non-technical jobs if the deafness is upto 30 decibel in higher frequency.
(2) Perceptive deafness in both ears in which some improvement is possible by a hearing aid.	Fit in respect of both technical and non-technical jobs if the deafness is upto 30 decibel in speech frequency of 1000 to 4000.
(3) Perforation of tympanic membrane of central or magrinal type.	(i) One ear normal, other ear perforation of tympanic membrane present—Temporarily unfit. Under improved conditions of Ear Surgery a candidate with marginal or other perforation in both ears should be given a chance by declaring him temporarily unfit and then he may be considered under 4 (ii) below. (ii) Marginal or attic perforation in both ears—Unfit. (iii) Central perforation both ears—Temporarily unfit.
(4) Ears with Mastoid cavity subnormal hearing on one side/on both sides.	(i) Either ear normal hearing other ear Mastoid cavity. Fit for both technical and non-technical jobs. (ii) Mastoid cavity of both sides—Unfit for technical job. Fit for non-technical jobs if hearing improves to 30 Decibels in either ear with or without hearing aid.
(5) Persistently discharging ear operated/unoperated	Temporarily Unifit for both technical and non-technical jobs.
(6) Chronic inflammatory/ allergic conditions of nose with or without bony deformities of nasal septum.	(i) A decision will be taken as per circumstances of individual cases. (ii) If deviated nasal Septum is present with symptoms—Temprorarily unfit.
(7) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/ or Larynx	(i) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/ or Larynx—Fit.

	(ii) Hoarseness of voice of severe degree if present then—Temporarily unfit.
(8) Benign or locally malignant tumours of the ENT	(i) Benign tumours—Temporarily unfit. (ii) Malignant Tumours—Unfit.
(9) Otosclerosis	If the hearing is within 30 Decibels after operation or with the help of hearing aid—Fit.
(10) Congenital defects of ear, nose or throat.	(i) If not interfering with functions—Fit. (ii) Stuttering of severe degree—Unfit.
(11) Nasal Poly	Temporarily Unfit.

(b) that his speech is without impediment;

(c) that his teeth, are in good order and that he is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he is not ruptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, a severe degree of varicocele, varicose veins or piles;

(h) that his lims hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all joints;

(i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;

(j) that there is no congenital malformation or defect;

(k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

11. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination.

In case of doubt regarding health of a candidate, the Chairman of the Medical Board may consult a suitable Hospital specialist to decide the issue of fitness or unfitness of the candidate for Government Service, *e.g.*, if a candidate is suspected to be suffering from any mental defect or abberation, the Chairman of the Board may consult a Hospital Psychiatrist/Psychologist, etc.

When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

12 The candidates filing an appeal against the decision of the Medical Board have to deposit an appeal fee of Rs. 50 in such manner as may be prescribed by the Government of India in this behalf. This fee would be refunded if the candidate is declared fit by the Appellate Medical Board. The candidates may, if they like, enclose medical certificate in support of their claim of being fit. Appeal should be submitted within 21 days of the date of the communication in which the decision of the Medical Board is communicated to the candidates, otherwise, requests for second medical examination by an Appellate Medical Board will not be entertained. The medical examination by the Appellate Medical Boards would be arranged at New Delhi only and no travelling allowance or daily allowance will be admissible for the journeys performed in connection with the medical examination. Necessary action to arrange medical examination by Appellate Medical Board would be taken by the Cabinet Sectt. (Deptt. of Personnel and Administrative Reforms) on receipt of appeals accompanied by the prescribed fee.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any, of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy Government, or the appointing authority, as the case may be that he has no disease, constitutional affection, or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him for that service

It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service, and the rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which is only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

The Board should normally consist of three members (i) a physician (ii) a Surgeon and (iii) an Ophthalmologist all of whom should as far as practicable, be of equal status. A lady doctor will be coopted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidates appointed to the Indian Economic Service/ Indian Statistical Service are liable for field service in or out of India. In case of such a candidate the Medical Board should specially record their opinion as to his fitness or otherwise for field service. The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In cases where a candidate is declared unfit for appointment in the Government Service, the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In cases where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared "Temporarily Unfit" the period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum. On re-examination after the specified period these

candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) *Candidate's statement and declaration*

The candidate must make the statement required below prior to his Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the warning contained in the Note below :

1. State your name in full (in block letters .....

2. State your age and birth place .....

(a) Do you belong to races such as Gorkhas, Garhwali, Assamese, Nagaland Tribals etc. whose average height is distinctly lower? Answer 'Yes' or 'No' and if the answer is 'Yes' state the name of the race. .....

3. (a) Have you ever had smallpox, intermittent or any other fever—enlargement or suppuration of glands, spitting of blood asthma, heart disease, lung disease fainting attacks, rheumatism, appendicitis .....

OR

(b) Any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment?

4. When were you last vaccinated ? .....

5. Have you suffered from any form of nervousness due to over work or any other cause ? .....

6. Furnish the following particulars concerning your family :—

Father's age if living and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living, their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages at, and cause of death

Mother's age if living and state of health	Mothers age at death and cause of death	No. of sisters living, their ages and state of health	No. of sisters dead, their ages at, and cause of death

7. Have you been examined by a Medical Board before ? .....

8. If answer to the above is 'Yes' please state what Service/Services, you were examined for .....

9. Who was the examining authority ? .....

10. When and where was the Medical Board held ? .....

11. Result of the Medical Board's examination, if communicated to you or if known. .....

I declare that all the above answers are to the best of my belief, true and correct.

Candidate's signature.....

Signed in my presence.....

Signature of the Chairman of the Board

NOTE.—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed, of forfeiting all claims to superannuation Allowance or Gratuity.

Report of the Medical Board on (name of candidate) .....Physical Examination

1. General development : Good ..... fair ..... Poor.....

Nutrition : Thin ..... Average ..... Obese .....

Height (without shoes) ..... weight .....

Best Weight ..... When ? ..... any recent change in weight ? ..... Temperature .....

Girth of Chest :

(1) (After full inspiration).....

(2) (After full expiration).....

2. Skin : Any obvious disease.....

3. Eyes :

(1) Any disease .....

(2) Night blindness .....

(3) Defect in colour vision .....

(4) Field of vision .....

(5) Visual acuity .....

(6) Fundus examaination .....

Acuity of vision	Naked eye with glasses	Strength of glasses		
		Sph.	Cyl.	Axis
Distant vision	R.E.			
	L.E.			
Near vision	R.E.			
	L.E.			

4. Ears : Inspection ..... Hearing : Right Ear ..... Left Ear .....

5. Glands ..... Thyroid .....
Condition of teeth .....

7. Respiratory system : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs ? .....
if yes, explain fully .....

8. Circulatory System :

(a) Heart : Any organic lesion ? ..... Rate
Standing .....
After hopping 25 times .....
2 minutes after hopping .....

(b) Blood Pressure : Systolic ..... Diastolic .....

9. Abdomen : Girth ..... Tenderness .....

Hernia .....

(a) Palpable : Liver ..... Spleen .....

Kidneys ..... Tumours .....

(b) Haemorrhoids ..... Fistula .....

10. Nervosus System : Indication of nervous or mental disabilities .....

11. Loco Motor System : Any abnormality .....

12. Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele, varicocele, etc.

Urine Analysis :

(a) Physical appearance .....

(b) Sp. Gr. .....

(c) Albumen .....

(d) Sugar .....

(e) Casts .....

(f) Cells .....

13. Report of Screening/X-ray Examination of Chest.....

.....

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate ? .....

NOTE : In case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporarily unfit, *vide* regulation 9.

15. (i) Has he been found qualified in all respects for the efficient and continuous discharge of his duties in the Indian Economic Service and Indian Seatistical Service :

(ii) Is the candidate fit for FIELD SERVICE .....

NOTE.—The Board should record their findings under one of the following three categories :

(i) Fit .....

(ii) Unfit on account of .....

(iii) Temporarily unfit on account of .....

Chairman

Place .....

Member

Date .....

Member

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1982